ऑन लाईन नं. GCMS 2025/16

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 14 / 2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मनीष पुत्र श्री धनराज –विक्रेता –
   वार्ड नं. 10 नामदेव गुरूद्वारे के पास, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर।
   मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल गोदाम, श्याम प्रोपर्टी एडवाइजर, दुकान नं. 45 सेन्ट्रल सिटी मार्केट, रिको, श्रीगंगानगर।
2. श्री राजकुमार बसंल पुत्र श्री धनराज –मालिक–
   वार्ड न. 10 वेयर हाउस के पास, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर।
   मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल गोदाम, श्याम प्रोपर्टी एडवाइजर, दुकान नं. 45 सेन्ट्रल सिटी मार्केट, रिको, श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

<u>अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा</u>

<u>एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51</u>

<u>निर्णय</u> **दिनांक: 07.03.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कमांक सं०–प.5 (01) चिस्वा / ग्रुप–3 / ई–5095 / 2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कंमांक आयुक्ता / संस्था / 2024 / 1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमाक आयुक्त / वासुऔनि / संस्था / 2024 / 1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2024 को समय दोपहर 06.40 पी.एम. बजे **मैसर्स हर्ष ट्रेडिंग कम्पनी, हॉल गोदाम, श्याम प्रोपर्टी एडवाइजर, दुकान नं0–45–46, सेन्ट्रल सिटी मार्केट रिको श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर **किचन स्पैशल (राज किंग ब्राण्ड)** 1 लीटर जार पैक के 14 कार्टून मे (प्रत्येक में 16 नग) 500 एम एल के 4 कार्टुन (प्रत्येक मे 32 नग) 200 एम एल के 7 कार्टुन (प्रत्येक ने 60 नग) के बारे में जानकारी चाही, तो इस पर विक्रेता ने संस्थान पर रखे **किचन स्पैशल (राज किंग ब्राण्ड)** 1 लीटर जार पैक के 14 कार्टून मे (प्रत्येक में 16 नग) 500 एम एल के 4 कार्टुन (प्रत्येक मे 32 नग) 200 एम एल के 7 कार्टून (प्रत्येक में 60 नग) को आमजन में बेचान वास्ते बताया, जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **किचन स्पैशल (राज किंग ब्राण्ड)** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने एवं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे **किचन स्पैशल (राज किंग ब्राण्ड)** 1 लीटर जार पैक के 14 कार्टून में (प्रत्येक में 16

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नग) 500 एम एल के 4 कार्टुन (प्रत्येक मे 32 नग) 200 एम एल के 7 कार्टून (प्रत्येक में 60 नग में से 4 मूल जार पैक (1 लीटर गुणा 4= 4 लीटर) खाद्य पदार्थ **किचन स्पैशल (राज किंग ब्राण्ड)** को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **किचन स्पैशल (राज किंग ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 520 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **किचन स्पैशल (राज किंग ब्राण्ड)** 4 मूल जार पैक (1 लीटर गुणा4= 4 लीटर) खाद्य पदार्थ किचन स्पैशल (राज किंग ब्राण्ड)पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2462** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गाँद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2462** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना माग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज(विकेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1126/Act/2024/1126 Dated 24-09-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2462 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता)वार्ड नं. 10 नामदेव गुरूद्वारे के पास, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल गोदाम, श्याम प्रोपर्टी एडवाइजर, दुकान नं. 45 सेन्ट्रल सिटी मार्केट, रिको, श्रीगंगानगर और श्री राजकुमार बसंल पुत्र श्री धनराज (मालिक) वार्ड न. 10 वेयर हाउस के पास, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल गोदाम, श्याम प्रोपर्टी एडवाइजर, दुकान नं. 45 सेन्ट्रल सिटी मार्केट, रिको, श्रीगंगानगर** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 30.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी रायसिंहनगर तहसील वा जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल गोदाम, श्याम प्रोपर्टी एडवाइजर, दुकान नं. 45 सेन्ट्रल सिटी मार्केट, रिको, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 175/25 दिनांक 30–1–2025 का दिया है कि आपकी दुकान मे किचन स्पेशन(राज किंग ब्रांड) की जांच की गई तो किचन स्पेशन(राज किंग ब्रांड) substandard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त किचन स्पेशन(राज किंग ब्रांड) मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 14/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **किचन स्पेशन(राज किंग ब्रांड)** का सैम्पल **K-2462** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1126/Act/2024/1126 Dated 24-09-2024 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त किचन स्पेशन(राज किंग ब्रांड) मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 14/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Kitchen Special Lite"** bearing Code No and Sr. No. K-2462, **an admixture of Hydrogenated vegetable oil, Refined Soyabean oil and Milk Fat as mentioned on the label. The sample is Sub-Standard Food as the sale of admixture of Hydrogenated vegetable oil, Refined vegetable oil and Milk Fat is prohibited under Regulation No. 2.1.1(6) and 2.3.7 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, Act-2011**. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विकेता)वार्ड नं. 10 नामदेव गुरूद्वारे के पास, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल गोदाम, श्याम प्रोपर्टी एडवाइजर, दुकान नं. 45 सेन्ट्रल सिटी मार्केट, रिको, श्रीगंगानगर और श्री राजकुमार बसंल पुत्र श्री धनराज (मालिक) वार्ड न. 10 वेयर हाउस के पास, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल गोदाम, श्याम प्रोपर्टी एडवाइजर, दुकान नं. 45 सेन्ट्रल सिटी मार्केट, रिको, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्तगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 40,000–00 (अखरे रूपये चालीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)